

बिहार कर्मचारी चयन आयोग  
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-21010116, पद- नगर प्रबंधक

ज्ञापांक- 57/आ/

पटना, दिनांक- 04.01.2025

वि0सं0-21010116, पद-नगर प्रबंधक से संबंधित SLP No.-9656-9657/2023, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य बनाम हिमल कुमारी एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-16.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-7051/2020, हिमल कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-15.10.2020 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाना है। पारित न्यायादेश के अनुपालन के अनुक्रम में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाये गये शेष 42 सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा दिनांक-16.01.2025 को आयोग कार्यालय में पूर्वाह्न-10:00 बजे से निर्धारित है। 42 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् है:-

210027	210145	210204	210382	210662	211085	211710
211790	212488	212515	212808	212979	213068	213377
213396	213457	213476	213825	213827	214031	214216
214741	214842	215139	215192	215367	215630	215873
216195	216579	216886	216909	217063	217159	217384
217488	217684	217935	218303	218311	219237	219352
						कुल:-42

प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक (Provisional) रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिये गए जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी/कोटि, शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण-पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता धारण करते हैं।

आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र xviii B (BC/MBC कोटि के लिए) आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र xviii B आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड कर लेंगे।

संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-1 में वांछित सूचना को भरकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं तीन सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0सं0	प्रमाण पत्र
01	बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र।
02	मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण पत्र।
03	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट (+2)/समकक्ष से संबंधित मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण पत्र।
04	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उत्तीर्णता संबंधित मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
05	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर/PGDM अथवा नगर प्रबंधन/निवेशन एवं विकास में संबंधित मूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
06	कार्यानुभव संबंधित प्रमाण-पत्र(संविदा पर नगर प्रबंधक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए) यदि हो तो।

07	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
08	पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जो वि०सं०-21010116 हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि (23.12.2016) से पूर्व का निर्गत होना चाहिए, जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो।
09	निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
10	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती, नाती/नतीनी हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
11	सरकारी सेवा में तीन वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र।
12	भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बितायें गये अवधि संबंधी प्रमाण-पत्र।
13	फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर आई०डी० कार्ड/पेन कार्ड इत्यादि।
14	क्र०सं०-01 से 12 तक अंकित प्रमाण-पत्रों (जो लागू हों) के साथ तीन पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ (हाल का खीचा हुआ)।

पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23.12.2016 से एक वर्ष से अधिक पुराना अर्थात् दिनांक-23.12.2015 से पूर्व का होने की स्थिति में, संबंधित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रपत्र xviii B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि 16.01.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा हेतु दुबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा हेतु आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों का मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान के पश्चात् ही मेधाक्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। मात्र प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने के आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।

ज्ञातव्य हो कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाये जायेंगे, उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहेंगे।

नोट:-उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कतिपय आवेदकों को उक्त विज्ञापन के संबंध में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या त्रुटिवश 49 सूचित की गई है, जबकि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 46 है।

MA  
04.01.2025

अपर सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।